

संख्या- 431 / 1-10-2012-33⁵³(63) / 12

प्रेषक,

एल वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फरुखाबाद/बाराबंकी/खीरी/जौनपुर

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2013

विषय :-वित्तीय वर्ष 2012-13 में दैवी आपदा मद में धनावंटन के संबंध में
शुद्धि-पत्र

महोदय

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-3219/1-10-12-33(63)/12
दिनांक 17-01-12 का संदर्भ गृहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश दिनांक
17-01-13 में जनपद फरुखाबाद हेतु बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के भुगतान मद में धनराशि
9,30,000(नौ लाख तीस हजार मात्र) का उल्लेख किया गया है, किन्तु त्रुटिवश कुल योग रू0
2,80,67,950/- में उक्त धनराशि का योग नहीं किया गया है। अतएव उक्त योग के स्थान
पर अब कुल योग रू0 2,89,97,950/-(रू0 दो करोड़ नवासी लाख सत्तानवे हजार नौ सौ
पचास मात्र) पढ़ा जाय।

उक्त शासनादेश संख्या-3219/1-10-12-33(63)/12 दिनांक 17-01-12 इस
सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
(एल वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या : 431 / 1-10-2012-12(1) / 2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद
- 2- संबंधित मण्डलायुक्त,
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट
<http://rahata.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- ✓ 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, फरुखाबाद/बाराबंकी/खीरी/जौनपुर।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।

- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ०प्र० शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार शर्मा)
अनु सचिव।